पश्चिम बंगाल विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति

1. प्रस्तावना

1.1. **भारत सरकार ने निर्यात-आयात नीति 1997 – 2000 में संशोधन के माध्यम से वर्ष, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की संकल्पना प्रस्तुत की है।**

1.2. **एसईजेड विशेष रूप से विकसित ड्यूटी फ्री एंक्लेव हैं जिन्हें औद्योगिक सेवाओं तथा व्यापार प्रचालनों के प्रयोजनार्थ विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता है तथा सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। अन्य लेवी, विदेशी निवेश तथा अन्य लेन-देन के संबंध में एसईजेड में अधिक उदार व्यवस्था होती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी परिवेश का सृजन करने के लिए एसईजेड में घरेलू विनियमों, प्रतिबंधों तथा अवसंरचना की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।**

1.3. **भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुकरण में सार्वजनिक, निजी या संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा एसईजेड विकसित किए जा सकते हैं। एसईजेड की संकल्पना की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने पर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तथा रोजगार के अवसरों के सृजन की दृष्टि से राज्य में काफी लाभ प्राप्त होंगे तथा यह निर्यात आय बढ़ाने में भी योगदान करेगा। वस्तुत: एसईजेड से आर्थिक विकास का इंजन बनने की उम्मीद है।**

1.4. **भारत सरकार ने हाल ही में, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया है। राज्य में आभूषण बनाने के कौशल तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कारीगरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा साल्ट लेक, कोलकाता में मणिकंचन रत्न एवं आभूषण पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह देश में पहला क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने दक्षिण 24 परगना में कुलपी में एक एसईजेड स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है जो कुलपी में प्रस्तावित लघु बंदरगाह के समीप स्थित है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने कुलपी तथा मणिकंचन दोनों को एसईजेड का दर्जा प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। मणिकंचन के लिए एक अलग एसईजेड नीति केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को अग्रेषित की गई है ताकि औपचारिक एसईजेड अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। हल्दिया में एक और एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।**

1.5. **भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में तथा सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित नीति राज्य में भारत सरकार द्वारा समय – समय पर एसईजेड के लिए निर्धारित रूपरेखा के अधीन लागू होगी।**

2. पर्यावरण

2.1. **किसी एसईजेड में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक यूनिटों को पर्यावरण स्वीकृतियां, एनओसी, सहमति आदि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की सभी शक्तियां संबंधित विकास आयुक्त (आयुक्तों) को प्रत्यायोजित की जाएंगी।**

2.2. **इस संबंध में, विकास आयुक्त की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) द्वारा उपयुक्त वरिष्ठता एवं अनुभव वाले किसी तकनीकी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। डब्ल्यूबीपीसीबी के अधिकारी विकास आयुक्त के पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे।**

3. जलापूर्ति

3.1. **एसईजेड विकासक संबंधित एसईजेड के अंदर पर्याप्त जलापूर्ति का सुनिश्चय करेगा।**

4. विद्युत

4.1. **एसईजेड विकासक संबंधित एसईजेड में सभी उपभोक्ताओं के लिए अबाध तथा उत्तम कोटि के विद्युत का सुनिश्चय करेगा।**

4.2. **एसईजेड विकासक या उनके द्वारा प्रमोट किए गए संयुक्त उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) स्थापित कर सकते हैं जिसे केंद्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार उत्पादन, पारेषण एवं वितरण सहित एसईजेड को विद्युत के समेकित प्रावधान की स्थापना करने की अनुमति होगी।**

4.3. **एसईजेड के अंदर विद्युत वितरण के लिए टैरिफ का निर्धारण केंद्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा अभिशासित होगा।**

4.4. **केंद्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार एसईजेड में औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को कैप्टिव प्रयोग के लिए अपने स्वयं के विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति होगी।**

4.5. **एसईजेड में स्थापित किए जाने वाले सभी उद्योगों एवं अन्य स्थापनाओं के संबंध में अवधि संबंधी किसी प्रतिबंध के बगैर 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क माफ होगा।**

4.6. **मणिकंचन एसईजेड के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी) एकमात्र विद्युत प्रदाता होगा। डब्ल्यूबीएसईबी ने मणिकंचन एसईजेड के संबंध में विद्युत कनेक्शन तथा संबंधित मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया है।**

4.7. **विद्युत निदेशालय के मुख्य विद्युत निरीक्षण की सभी शक्तियां एसईजेड के संबंधित विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाएंगी।**

5. राज्य कर, शुल्क आदि

5.1. **किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को बिक्री कर के भुगतान से छूट होगी।**

5.2. **किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण से 100 प्रतिशत छूट होगी।**

6. श्रम

6.1. **संबंधित एसईजेड के अंदर क्षेत्र के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम आयुक्त की शक्तियां विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाएंगी। श्रम तथा श्रम कानूनों से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए विकास आयुक्त की सहायता के लिए श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीन रखा जाएगा।**

6.2. **श्रम विभाग के जो अधिकारी उनके अधीन रखे जाएंगे उनको विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षक, सामंजस्य अधिकारी तथा पंजीकरण अधिकारी के रूप में नामित किए जाएंगे।**

6.3. **संबंधित एसईजेड के अंदर संबंधित विकास आयुक्त को मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा बायलर निरीक्षक की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी। विभिन्न मामलों को देखने के लिए विकास आयुक्त की सहायता के लिए संबंधित विभागों से वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी उनके अधीन रखे जाएंगे।**

6.4. **एसईजेड के अंदर सभी औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में घोषित किया जाएगा।**

7. एसएसआई तथा राज्य प्रोत्साहन पंजीकरण

7.1. **किसी एसईजेड में अनंतिम तथा स्थाई लघु उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति संबंधित विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाएगी।**

7.2. **किसी एसईजेड में पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजना, 2000 के लाभों को प्राप्त करने के लिए लघु एवं मध्यम / विशाल उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति संबंधित विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाएगी।**

8. निरीक्षण

8.1. **किसी एसईजेड में स्थापित किसी औद्योगिक यूनिट या अन्य स्थापना के संबंध में राज्य सरकार सभी एजेंसियों द्वारा भौतिक निरीक्षण विकास आयुक्त के परामर्श से किए जाएंगे।**

9. औद्योगिक टाउनशिप के रूप में एसईजेड

9.1. **राज्य सरकार प्रत्येक एसईजेड को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित करेगी ताकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) के तहत प्रावधान के अनुसार अभिशासी एवं स्वायत्त निकाय के रूप में काम कर सकें।**

9.2. **राज्य सरकार प्रत्येक एसईजेड को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित करेगी जो मौजूदा पंचायत या नगरपालिका को प्रतिस्थापित करेगा। ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को यथास्थिति पंचायत या नगरपालिका की सभी शक्तियां एवं कार्य सौंपे जाएंगे।**

9.3. **चूंकि मणिकंचन एसईजेड विधाननगर नगर निगम के तहत बहुत छोटे क्षेत्र में स्थित है जहां औद्योगिक निवास के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे अलग औद्योगिक टाउनशिप से छूट प्रदान की गई है।**

10. कानून व्यवस्था

10.1. **राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसईजेड के अंदर उचित एवं अनन्य व्यवस्था करेगी।**

11. एसईजेड के लिए समीक्षा एवं विकास समिति

11.1. **राज्य सरकार राज्य में एसईजेड के संवर्धन, विकास एवं कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की एक समिति का गठन करेगी जिसमें एसईजेड प्राधिकरणों / प्रमोटरों / विकासकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।**

***